यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की कांग्रेस में वापसी पर शुरू हुआ विवाद

कोटा, (निसं)। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था कि कांग्रेस में पुन: वापसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में पूर्व मंत्री व कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने विजय सिंह राजू को माला पहनाकर उनकी कांग्रेस में वापसी का स्वागत किया था। अब शांति धारीवाल के निकटतम लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं।

कोटा के स्थानीय नेता और शहर कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया ने बताया कि लोकसभा चुनाव के समय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को हराने के लिए कुछ लोग पार्टी से विद्रोह कर भाजपा में शामिल हो गये और राहुल गांधी को हराने के लिए काम किया था ऐसे लोगों में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू ने भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और राहुल गांधी को हराने के लिए काम किया। ऐसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था जिन्हें केवल प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ही दोबारा पार्टी में लिया जा सकता है कोई ओर व्यक्ति उस व्यक्ति को पार्टी में शामिल नहीं कर सकता यह अधिकार क्षेत्र केवल प्रदेश अध्यक्ष के पास ही रहता है।

इस संदर्भ में जब दुरभाष पर जब प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हारने के लिए कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भाजपा में चले गए थे उन लोगों को हमारे द्वारा 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है और बिना मेरे नोटिस में आये उन्हें कोई कांग्रेस में शामिल नहीं कर सकता जिन्होंने पार्टी से गद्दारी करी और हमारे नेता राहुल गांधी को हराने का कार्य करा है उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है।

शहर कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया ने इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल से भी इस संदर्भ में उनसे बात हुई तब प्रहलाद गुंजल ने कहा कि जिस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस से अलग होकर भाजपा की सदस्यता ली है और हमारे नेता राहुल गांधी को हराने के लिए काम क्या हो एवं जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा 6 साल के लिए निष्कासित किया गया हो तो यह अधिकार क्षेत्र प्रदेश अध्यक्ष का ही बनता है कि वह उन्हें पार्टी में शामिल करें या नहीं उनके अलावा कोई और नेता बिना प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के पार्टी से निष्कासित हुए व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल नहीं कर सकते अगर उस व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल होना है तो प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है और हमारी प्रदेश अध्यक्ष आपसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में अभी कोई व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल हो रहा हो और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की है उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और मेरी अनुमति के बिना मेरे द्वारा निष्कासित व्यक्ति को कोई भी पदाधिकारी पार्टी में शामिल नहीं कर सकता है। शहर कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया ने कहा कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी को हराने के लिए काम किया है ऐसे व्यक्तियों को हम कांग्रेस में स्वीकार नहीं करेंगे इसकी शिकायत आगे तक लेकर जाएंगे। इस मौके पर अजय भान सिंह शक्तावत, नीरज शर्मा, महेश अनीजवाल, अमित सूद महेश रेगर मनीष सुमन हैदर अली हरीश नगर शाकिर अली अनवर हुसैन विजय कोडप आदि कांग्रेसजन उपस्थित थे।

कोटा में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू की कांग्रेस में वापसी पर स्थानीय नेताओं ने लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल से मुलाकात कर आपत्ति दर्ज कराई है।

- **हाल ही में विधायक शांति धारीवाल ने माला पहनाकर वापसी का स्वागत किया था**
- **'राहुल गांधी को हराने के लिए भाजपा में शामिल होने वाले कार्यकर्ता बिना प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के पार्टी में नहीं आ सकते'**

'नॉ-फायर' कुकिंग प्रतियोगिता हुई

कोटा, (निसं)। प्रगति इंटरनेशनल स्कूल पुलिस लाईन कोटा में 'नॉ-फायर' कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिसमें विद्यालय के नन्हे-मुन्हें शैफों ने कुकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यालय कक्षा 6 से 8वीं तक विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के पोष्ठिक व्यंजन एवं पेय पदार्थ बिना आग के प्रयोग से बनाये। प्रतियोगिता में बच्चों ने अंकुरित चाट, श्रीखण्ड, मिल्क-शेक, चना-चाट मसाला, लस्सी, रसमलाई, मटकी पनीर, ब्रेड रोड, पेठा लडडू, सेण्डविच, ठण्डाई, दही चाट, मेरीटोजी, पेरी-पेरी सेण्डविच, गन्ने का ज्यूस इत्यादि बनाकर एक से बढकर एक आकृर्षक साज-सज्जा के साथ अपने व्यंजनों को प्रतियोगिता में प्रस्तुत कर कलात्मकता का परिचय दिया। विद्यालय के चैयरमेन डॉ.जफर मोहम्मद व प्रधानाध्यापिका डॉ.फैमिना ने नन्हे-मुन्हे शैफों द्वारा बनाये गए व्यंजनों का निरीक्षण कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। निर्णायक मण्डल के सदस्यों ने पाक-कला के मानदण्डों के आधार पर विजेता-उपविजेता का चुनाव किया जिसमें कक्षा 7-बी, के छात्र-छात्राओं ने प्रथम स्थान व कक्षा 8-बी. के छात्र-छात्राओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपने हाऊस व विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका डॉ.फैमिना ने बताया कि बच्चों ने काफी नये व्यंजनों को प्रतियोगिता में शामिल किया जो नॉ-फायर कुकिंग द्वारा बड़े ही स्वादिष्ठ थे ऐसे आयोजनों से सभी को सीख लेनी चाहिए की भीड से हठकर नये आयडियॉज न केवल छात्र को बल्कि पूरे ग्रुप को सभी से अलग पहचान दिलाने में कामयाब होते है। सभी को पुरे जोश से प्रतियोगिताओं में शामिल होने पर बधाई।

स्वच्छता पखवाड़े का समापन

कोटा, (निसं)। रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 अक्टूबर तक मनाया गया। इस पखवाड़े की शुरूवात रेलकर्मियों द्वारा स्वयं और दूसरो को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता शपथ के साथ हुईं। 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े में प्रत्येक दिन विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता श्रमदान, स्वच्छ स्टेशन दिवस, स्वच्छ रेलगाड़ी दिवस, स्वच्छ पटरी, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ आहार, स्वच्छ नीर, स्वच्छ प्रसाधन, स्वच्छता से संबंधित प्रतियोगिता, सिंगल यूज प्लास्टिक न उपयोग करने के लिए जागरूकता, स्वच्छता रैली इत्यादि गतिविधियों को आयोजित किया गया।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2509 **विज्ञप्ति** दिनांक:-8.10.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगबाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना कृष्णा नगर भूखंड संख्या 52 खसरा नं. 78 आवेदक/आवेदिका श्री पंकज गुप्ता एवं रिंकू गुप्ता पिसरान श्री श्याम सुन्दर गुप्ता निवासी 52-ए कृष्णा नगर रंगबाड़ी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 2381 दिनांक 11.07.2003 को श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री रमेश कुमार के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2005 को श्री महोदव कुमार सेवानी पुत्र श्री किशनचन्द सेवानी को किया गया है। जिसका नाम हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 110-111 दिनांक 08.07.2006 से जारी किया गया था। नामहस्तान्तरी श्री महोदव कुमार सेवानी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 07.03.2024 को जर्ये मुख्तारआम श्री राधेश्याम चौहान पुत्र श्री भूरालाल द्वारा आवेदकों के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री पंकज गुप्ता एवं रिंकू गुप्ता पिसरान श्री श्याम सुन्दर गुप्ता के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2024/950 दिनांक:-16.10.24

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड संख्या 38 आनन्दपुरा आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 183 दिनांक 26.05.1986 को श्री विजय नारायण पुत्र श्री एस.एन. सक्सैना के नाम आवंटन किया गया था। आवंटी श्री विजय नारायण पुत्र श्री एस.एन. सक्सैना द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1996 को श्री ओम प्रकाश जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन को विक्रय कर दिया गया था। श्री ओम प्रकाश जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन द्वारा न्यास की अनुमति एवं नामहस्तान्तरण किए बिना जर्ये मुख्तारआम श्री हासानन्द भावनानी पुत्र श्री ग्वाल दास द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2024 को श्रीमती शिप्रा जांगिड पत्नी श्री अंकित कुमार जैन को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती शिप्रा जांगिड पत्नी श्री अंकित कुमार जैन द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 38 आनन्दपुरा आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती शिप्रा जांगिड पत्नी श्री अंकित कुमार जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1321 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-15.10.24

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल योजना के भूखंड/आवास संख्या 579 का आवंटन/रजि./हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 08.08.2002 को मै. पार्श्वनाथ ऑटोमोबाइल प्रो. श्री खुशाल चंद जैन पुत्र श्री बस्तीमल जैन को किया गया था। आवंटी श्री खुशाल चंद जैन की मृत्यु दिनांक 17.03.2020 को हो चुकी है। आवंटी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूखंड/आवास की वसीयत श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री खुशाल चंद जैन के नाम निष्पादित कर रखी थी। श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री खुशाल चंद जैन द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा पत्र, शपथ पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास का अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 579 योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल का नाम हस्तान्तरण श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री खुशाल चंद जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

जयपुर की टीम ने सुल्तानपुर व पीपल्दा अस्पतालों का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जयपुर से आई टीम ने बुधवार को सीएचसी सुल्तानपुर और पीएचसी पीपल्दा का निरीक्षण किया। टीम ने क्षेत्र में प्रभावी एंटी लार्वा व जागरूकता गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए।

टीम में वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक परिवार कल्याण डॉ. दिशा मीना सहित अन्य सदस्य रमेश कुमार पारीक, तेजराज मीणा, राजेंद्र वर्मा शामिल थे। जिला स्तर से कीट विज्ञानी डीपी चौधरी व एपीडेमियोलोजिस्ट विनोद प्रभाकर, बीसीएमओ डॉ.राजेश सामर भी उनके साथ रहे। टीम ने अस्पतालों के आईईसी कॉर्नर, वार्डों को भी देखा एवं रोगियों से उपचार के संबध में फीडबैक भी लिया। इधर, चिकित्सा विभाग की 777 टीमों ने बुधवार को 13952 घरों का सर्वे किया।

सीएमएचओ डॉ.जगदीश कुमार सोनी ने बताया कि अभियान में मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की गई। टीमों ने घरों के कंटेनरों जैसे पानी की टंकियां, कूलर, ड्रम, परिण्डे, गमले, फ्रीज की ट्रे और छतों पर रखे पानी जमा हो सकने वाले टायर, कबाड़ आदि की जांच की। कूलर, टंकियों आदि जल पात्रों मे लार्वा रोधी टेमीफॉस डालकर उपचारित किया गया। 1166 कंटेनरों को खाली करवाया।

विभिन्न जल भराव वाले स्थानों पर एमएलओ भी डाला गया। टीमों ने लार्वा मिलने पर 31 मकान मालिकों को मौके पर नोटिस देकर आगाह किया। इस दौरान बुखार के 188 संदिग्धों की ब्लड स्लाईड भी बनाई गई। 982 कमरों में पायरेथ्रम का छिड़काव भी किया गया। आमजन को बचाव-रोकथाम के उपाय बताए और जागरूकता के पम्फलेट वितरित किए व पोस्टर, स्टीकर चस्पा किएं।

समीक्षा बैठक ली

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में कॉ-आर्डिनेशन रिव्यु मीटिंग सम्पन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी प्रभात कुमार एवं प्रमुख मुख्य दूरसंचार एवं संकेत इंजीनियर एकनाथ मोहकर सहित मुख्यालय के सभी विभाग के प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। इसके कोटा सहित जबलपुर एवं भोपाल के मंडल रेल प्रबंधक भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। बैठक में संरक्षा, की-परफॉरमेंस इन्डेक्स (केपीआई) के सभी बिंदुओं पर फोकस रखने, कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स), अधोसंरचना निर्माण कार्यों, रेल लाइनों एवं ट्रेनों के सेफ्टी अनुक्षण जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा रेल कर्मियों को सेफ्टी से अनुरक्षण के दौरान मिलने वाली सुविधाओं एवं सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये एवं रेलगाड़ियों के संरक्षित परिचालन पर जोर देने की बात कही गई। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशित कार्यो एवं ट्रेनों के सेफ्टी अनुक्षण जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक की शुरुआत में महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने कहा कि संरक्षित एवं सुरक्षित रेल संचालन हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अधोसरंचना कार्यो के दौरान नई रेल लाईनों एवं यार्डो और संवेदनशील रेलखंडों में संबंधित अनुभाग इंजीनियरों द्वारा समय-समय समीक्षा और निरीक्षण करना और सभी स्थानों पर गेटमैन की नियमित पैट्रोलिंग एवं सेफ्टी काउंसलिंग करना और रेल संचालन में सेफ्टी से सम्बंधित नियमों के अनुपालन हेतु विशेषकर सहायक स्टेशन मास्टरों एवं अन्य रेलकर्मियों को सेफ्टी के दौरान मिलने वाली सुविधाओं एवं सेफ्टी उपकरण की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही महाप्रबंधक ने संरक्षा एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने एंव विशेषकर रेलवे ट्रैक को संरक्षा से सम्बंधित सुधारों को योजनाबद्ध तरीके से पालन करने हेतु निर्देशित किया। महाप्रबंधक ने तीनों मण्डल पर कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) का अधिकतम उपयोग एवं सिग्नल फेल्युअर पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इसके अलावा महाप्रबंधक ने तीनों मण्डलों पर मण्डल रेल प्रबंधको द्वारा रेल संरक्षा की दृष्टि रेलखण्डों पर रात्रिकालीन निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए संरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने रेलवे राजस्व एवं यात्री सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के कार्य और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और तीनों मण्डल के सम्बंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिये।

- **रेलगाड़ियों के संरक्षित परिचालन पर जोर देने की बात कही गई**

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम सकीना से बदलकर नया नाम सकीना मालक रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-सकीना मालक पत्नी बुरहानुद्दीन मालक मोय्यदपुरा वार्ड-10 सुनेल झालावाड़

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम हरिओम कुमार से बदलकर नया नाम हरिओम प्रजापति रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-हरिओम प्रजापति पुत्र छीतरलाल नियर साँवरिया सेठ मन्दिर प्रेम नगर थर्ड उद्योगपुरी कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम फारुक (FAROOQ) से बदलकर नया नाम (MOHAMMAD FARUK) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-मोहम्मद फारुक पुत्र मुस्लिम वार्ड 14 अजिजिया स्कूल के पास केशोरायपाटन बून्दी

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम MOHAMMAD AMIR से बदलकर नया नाम MOHAMMAD AAMIR रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद मोहम्मद शफी हबीब मंजिल 500 जमाल रोड कोटडी कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम FAQRUDDIN ALI से बदलकर नया नाम FAKHRUDDIN ALI रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-फखरुद्दीन अली पुत्र मोहम्मद इस्हाक अली 155 प्रताप नगर सेकण्ड देवली अरब रोड बोरखेड़ा कोटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/3201 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:-08.10.24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संदीप कुमार पिता श्री अश्वनी कुमार चोपडा निवासी चारभुजा (झालरबावडी) तहसील रावतभाटा ने इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन मय शपथ पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियों को ऑनलाईन अपलोड कर नगर पालिका रावतभाटा की श्री गणेश नगर आवासीय योजना के भूखंड संख्या 536 श्रेणी (ब) साईज 30x50 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट अर्थात 139.41 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने नाम पालिका रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

प्रस्तुत/ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखंड पालिका द्वारा लाटरी दिनांक 31.12.2007 अन्तर्गत श्री अशवनी कुमार चोपडा पिता श्री जयकिशन निवासी रावतभाटा को आवंटित किया गया था। जिसकी 99 वर्षीय लीज डीड इस आवंटी के पक्ष में क्रमांक 737 दिनांक 17.04.2008 व पंजीयन दिनांक 19.06.2008 से जारी की गई। इसके उपरांत आवंटी को प्राप्त स्वामित्व अधिकारों के आधार पर उक्त भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु निर्माण स्वीकृति एवं नक्शानुमोदन पालिका पत्रांक 5951 दिनांक 27.01.2014 से जारी की गयी, जिसके तहत आवंटी ने उक्त भूखंड पर आवासीय भवन का निर्माण कर लिया है, इसके उपरांत आवंटी ने उक्त निर्मित भूखंड को जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 30.07.2024 से अपने पुत्र आवेदक श्री संदीप कुमार पिता श्री अश्वनी कुमार चोपडा निवासी चारभुजा (झालरबावडी) तहसील रावतभाटा को हस्तान्तरित किया गया। जिसके आधार पर आवेदक के नाम भूखंड का नामान्तरण/हस्तान्तरण नियमानुसार दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

अत: उक्त भूखंड का नामान्तरण पालिका रिकार्ड में आवेदक के नाम दर्ज करने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/उजर हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति/उजरदारी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक: न.पा.छ./2024/7264 प्रारुप-10 (नियम 6 (7) देखिए) दिनांक:-15.10.24

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका छबड़ा जिला बारां

लोक सूचना

श्री बजरंगलाल सुमन आत्मज श्री देवीलाल सुमन एवं श्री नवल सुमन आत्मज श्री दीपचन्द सुमन जाति माली निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
छबड़ा जिला बारां	ऑचोली	180 180/421	2 बीघा 6 बिस्वा 3 बीघा 4 बिस्वा

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15.10.2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा जिला बारां (राज.)

शिक्षा ऋण के आवेदन 8 नवंबर तक

कोटा, (निसं)। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो कारोबारी ऋण एवं शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं वे 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर कर सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नाहिद ने बताया कि व्यावसायिक ऋण के लिए कौशल प्रशिक्षण, आई.टी.आई. शिल्पकार, और हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऋण आवेदन के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शिक्षा ऋण के लिए शैक्षिक प्रमाण-पत्र, जमा करवाई गयी फीस की रसीदें आदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

'जनसुनवाई को गंभीरता से लें अधिकारी'

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर डॉ.रविंद्र गोस्वामी ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि जहां जनसुनवाई होनी है वहां प्रत्येक विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे एवं अपना परिवार लेकर आए ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त कर जो समस्याएं मौके पर ही निस्तारित की जा सकती है उनका निस्तारण करें।

उन्होंने कहा कि जनसुनवाई से करीब 4-5 घंटे पहले विभिन्न विभागों के अधिकारी वहां पहुंचे एवं समस्याओं का जायजा लें। साथ ही, आमजन के परिवाद प्राप्त कर जो कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में परिवादी को अवगत करवाएं। जिला कलक्टर ने राजस्व से जुडे लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी तीव्र गति से करने के निर्देश दिए डॉ.गोस्वामी बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व से जुडे अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमांकन, सीमा ज्ञान एवं बंटवारे से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाए। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को मिशन 30 के तहत प्रतिदिन 30 मिनट संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए देने को कहा। जिला कलक्टर ने फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप कटिंग की किसान एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान को उसकी फसल के खराबी के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएें। डॉ.गोस्वामी ने एसडीएम कोर्ट में 10 साल से पुराने प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों को योजनाबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाए। उन्होंने श्मशान के लिए भूमि आवंटन के बारे में तहसीलदारों से जानकारी मांगी एवं निर्देश दिए कि भूमि आवंटन होने पर उसका 7 दिन में कब्जा लेकर म्यूटेशन खोलने की कार्रवाई करें। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए पटाखों के अस्थाई लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई भी समय पर करने के निर्देश दिऐं। बैठक में एसडीएम इटावा नयन गौतम (आईएएस प्रोबेशनर), अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर अनिल सिंघल, एसडीएम रामगंजमंडी नीता वसीटा, एसडीएम दीगोद दीपक महावर, एसडीएम लाडपुरा गजेन्द्र सिंह, एसडीएम सांगोद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
ब्लॉक नं. 9, सी/ओ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर,
सेक्टर 28, गांधीनगर, गुजरात-382028। URL:www.iiitvadodara.ac.in

पीएचडी (पूर्णकालिक और अंशकालिक) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सूचना
निम्नलिखित विशेषज्ञता क्षेत्रों में पीएचडी कार्यक्रम (शीतकालीन 2024-25) में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है-
इंजीनियरिंग (सीएसई और ईसीई): क्रिप्टोग्राफी, सूचना और साइबर सुरक्षा, IoT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग, एआर/वीआर, कम्प्यूटेशनल म्यूजिक, वीएलएसआई डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरलेस संचार, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, संचार के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग 5G/6G संचार और सीएसई और ईसीई में प्रासंगिक क्षेत्र।
विज्ञान-क्वांटम सिस्टम, अर्धचालक उपकरणों का भौतिकी, क्रिप्टोग्राफी, बीजगणित।
मानविकी-विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज अध्ययन।
गेट और नॉन-गेट उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।
अंतिम तिथि, पात्रता, चयन प्रक्रिया, शुल्क और सहायक पद तथा अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट http://pgadmissions.iiitvadodara.ac.in पर जाएं।
CBC 21346/12/0008/2425

नगर निगम, कोटा दक्षिण-उत्तर
131 वां राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा
कलश यात्रा एवं श्री राम कथा शुभारंभ
(कथावाचक पूज्य पं. विजय शंकर मेहता जी)
प्रात: 9 :00 बजे | मौजी बाबा की गुफा से श्री राम रंगमंच
एक शाम पुराने गीतों के नाम
प्रबुद्धजन द्वारा प्रस्तुत
रात्रि 7 :00 बजे | विजय श्री रंगमंच
पर्यटन विभाग का कार्यक्रम
रात्रि 8.30 बजे | प्रायोजक : पर्यटन विभाग
श्री कृष्ण महारास
रात्रि 10.00 बजे | प्रायोजक: कोटा विकास प्राधिकरण
गरिमामयी उपस्थिति
श्री ललित मीणा
माननीय विधायक, किशनगंज
दिनांक : 17 अक्टूबर 2024, गुरुवार
स्थान : विजय श्री रंगमंच, दशहरा मैदान, कोटा
आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं
विनीत : विवेक राजवंशी, अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य, मेला समिति
नगर निगम दक्षिण-उत्तर परिवार

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3697 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 01.10.24

आवास संख्या 2-घ-14 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री शिव प्रसाद विजय पुत्र श्री लाल विजय को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती रामप्यारी विजय पत्नी श्री श्री लक्ष्मीनारायण विजय के नाम दिनांक 17.11.1997 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती रामप्यारी विजय पत्नी श्री श्री लक्ष्मीनारायण विजय द्वारा दिनांक 01.01.1998 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती रामप्यारी विजय की मृत्यु दिनांक 08.05.2020 को एवं इनके पति श्री लक्ष्मीनारायण विजय की मृत्यु दिनांक 08.06.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती सावित्री विजय पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय पत्नी श्री रतन लाल गांधी, श्रीमती शकुन्तला विजय पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय पत्नी श्री गोपाल किशन विजय, श्रीमती सुलेखा विजय पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय पत्नी श्री राजेन्द्र विजय, श्रीमती शशिबाला विजयवर्गीय पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय पत्नी श्री योगेन्द्र विजयवर्गीय एवं सुचित्रा विजयवर्गीय स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 15.07.2024 को श्री विजय प्रकाश विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय, श्री आशुतोष विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय एवं श्री नितिन कुमार विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय के पक्ष में संयुक्त रुप से किया गया। श्री विजय प्रकाश विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय, श्री आशुतोष विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय एवं श्री नितिन कुमार विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-घ-14 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, अनापत्ति पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर संयुक्त रुप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री विजय प्रकाश विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय, श्री आशुतोष विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय एवं श्री नितिन कुमार विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय के नाम संयुक्त रुप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विजय प्रकाश विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय, श्री आशुतोष विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय एवं श्री नितिन कुमार विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय के नाम संयुक्त रुप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विजय प्रकाश विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय, श्री आशुतोष विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय एवं श्री नितिन कुमार विजय पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण विजय के नाम संयुक्त रुप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3696 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 01.10.24

आवास संख्या 2-म-17 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री अजीत सिंह सिंघवी पुत्र श्री सज्जन चंद सिंघवी को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री अजीत सिंह सिंघवी पुत्र श्री सज्जन चंद सिंघवी द्वारा दिनांक 25.05.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री अजीत सिंह सिंघवी पुत्र श्री सज्जन चंद सिंघवी द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 03.09.1992 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री शिवजीराम प्रतिहार पुत्र श्री यू.एन. प्रतिहार को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री शिवजीराम प्रतिहार पुत्र श्री यू.एन. प्रतिहार मुख्तारआम श्री अजीत सिंह सिंघवी पुत्र श्री सज्जन चंद सिंघवी द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 17.01.1994 को श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम माखिजा एवं श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मोविन्द राम माखिजा को संयुक्त रुप से किया गया। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम माखिजा एवं श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मोविन्द राम माखिजा का नाम दिनांक 23.11.2016 को मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम माखिजा एवं श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मोविन्द राम माखिजा द्वारा इस आवास का दान जरिये दान पत्र आलेखित कर दिनांक 06.03.2020 को इनके सगे भाई श्री नरसिंह माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा को किया गया। श्री नरसिंह माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा द्वारा इस आवास का दान जरिये दान पत्र आलेखित कर दिनांक 24.06.2020 को इनकी पत्नी श्रीमती पूजा माखीजा पत्नी श्री नरसिंह माखीजा को किया गया। श्रीमती पूजा माखीजा पत्नी श्री नरसिंह माखीजा का नाम दिनांक 08.06.2022 को दान पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती पूजा माखीजा पत्नी श्री नरसिंह माखीजा की मृत्यु दिनांक 09.01.2024 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री मोहनीश माखीजा पुत्र श्री नरसिंह माखीजा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 08.07.2024 को श्री नरसिंह माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा एवं श्री यश माखीजा पुत्र श्री नरसिंह माखीजा के पक्ष में संयुक्त रुप से किया गया। श्री नरसिंह माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा एवं श्री यश माखीजा पुत्र श्री नरसिंह माखीजा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-म-17 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर संयुक्त रुप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर श्री नरसिंह माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा एवं श्री यश माखीजा पुत्र श्री नरसिंह माखीजा के नाम संयुक्त रुप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री नरसिंह माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा एवं श्री यश माखीजा पुत्र श्री नरसिंह माखीजा के नाम संयुक्त रुप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री नरसिंह माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा एवं श्री यश माखीजा पुत्र श्री नरसिंह माखीजा के नाम संयुक्त रुप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

खाद्य विभाग की टीम ने एक दर्जन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया

कोटा (निसं)। प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण इकबाल खान एवं अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा एवं जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गौस्वामी के निर्देशन में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों सैम्पलिंग की जा रही है। अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जगदीश सोनी ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बुधवार को टीम ने महावीरनगर व दशहरे मेले में कई खाद्य संस्थानों का निरीक्षण किया तथा 10 नमूने गुलाबजामून के 2, मलाई बरफ़ी, मिल्क केक, डोडाबर्फी, बेसन के लड्डू, बेसनचक्की, बेसन के लड्डू, स्टैण्डर्ड बर्फ़ी आदि के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने व खाद्य लाइसेंस संस्थान में डिस्प्ले करने हेतु पाबंद किया। लिए गए कुल 10 नमूनों को खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला कोटा में भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन एवं नितेश गौतम मौजूद रहे।

खाद्य विभाग की टीम के द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गए।